Avadh Law College
Barabanki

The Law of Evidence
(Unit-V)

Syllabus-

Burden of proof.
General conception of onus probandi.
Scope of the doctrine of judicial notice.
Estoppel- why estoppels?The rationale.
Estoppel, res judicata, waiver and presumption.
Estoppel by deed.
Estoppel by conduct.
Equitable and promissory estoppel.
Question of corroboration.

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki

Burden of proof

(सबूत का भार) -: धारा 101

सबूत का भार शब्दों की परिभाषा धारा 101 में दी गई है इस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए बाध्य होता है तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है सबूत के भार का अर्थ इसी तथ्य को साबित करने का दायित्व है प्रत्येक पक्षकार को ऐसे तथ्य साबित करने होते हैं जो उनके पक्ष में हो तथा दूसरे पक्षकार के विरोध में ।

आता धारा 101 यह निर्धारित करती है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों के सकारात्मक पहलू का दावा करता है जो सुविधा का नियम है ।

यह जानने के लिए कि कौन पक्ष कार सकारात्मक बात कर रहा है विषय के सर को देखा जाता है प्रयुक्त शब्दों को नहीं।

उदाहरण-:

एक गृह स्वामी ने किराएदार पर आरोप लगाया कि उसने संविदा के अनुसार मकान की मरम्मत नहीं करवाई थी। प्रतिवादी ने उत्तर में कहा कि उसने वास्तव में तथा भली-भांति मरम्मत करवाई थी वादी नकारात्मक

बात कह रहा था और प्रतिवादी सकारात्मक न्यायालय ने कहा कि यह केवल व्याकरण के रूप में सकारात्मक था तथा विषय के सार को देखते हुए यह वादी को साबित करना था कि भवन की मरम्मत नहीं की गई थी।

धारा 101 और 102 दोनों सबूत के भार से संबंधित है।

धारा 101 निर्धारित करती है कि जो पक्षकार इच्छा करता है कि न्यायालय किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में उसके द्वारा कथित तथ्यों के आधार पर निर्णय दे तो यह उसका दायित्व होता है कि वह उन तथ्यों को सिद्ध करे ।

धारा 102 यह निर्धारित करती है कि किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 साक्ष्य देने की उस अवस्था को बताती है जब वादी द्वारा अपने मामले को धारा 101 के अंतर्गत स्थापित कर लेने के बाद साक्ष्य देने का भार पक्षकारों पर एक के बाद दूसरे पर आवश्यकतानुसार बदलता है यह धारा निर्धारित करती है कि वाद में सिद्धि भार उस पक्षकार पर होता है जो यदि दोनों में से किसी की ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए तो असफल हो जाएगा परीक्षण के दौरान लगातार साक्ष्य पेश करने का भार बदलता रहता है।

धारा 102 उस पक्षकार को जानने का प्रयास करती है जिस पर भार (onus)होता है धारा 102 इस बात पर जोर देती है कि अगर किसी और से साक्ष्य न दिया जाए तो जिस पक्षकार की बात विफल हो जाएगी उसी पर साबित करने का भार होता है ।

धारा 103 में कहा गया है कि विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यही चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करें जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

धारा 104- साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तक साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार-:

इस धारा के अंतर्गत निहित सिद्धांत यह है कि यदि किसी तथ्य को सिद्ध करना इसलिए आवश्यक हो ताकि कोई अन्य साक्ष्य ग्राह्म हो सके तो उस तत्व को सिद्ध करने का भार उस पक्षकार पर होता है जो कि उस अन्य साक्ष्य को देना चाहता है ।

दृष्टांत-
(क)
(ख)

धारा 105- यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है-:

धारा 105 धारा 103 का विशिष्ट प्रयोग और विस्तार है। धारा 105 कहती है कि जब कोई व्यक्ति, किसी अपराध का अभियुक्त है तो यह सिद्ध करने का भार कि उसका मामला भारतीय दंड संहिता के अपवादों के अंतर्गत आता है, उसी व्यक्ति पर होगा।

दृष्टांत-

क-

ख-

ग-

धारा 106- विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार-:

धारा 106 ऐसे तथ्यों को साबित करने के भार के बारे में प्रावधान करती है जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होते हैं ऐसे तथ्यों को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जिसके ज्ञान में ऐसे तथ्य होते हैं।

दृष्टांत-
क-
ख-

Judicial notice (न्यायिक अवेक्षा)

न्यायिक अवेक्षा से तात्पर्य उन तथ्यों की न्यायाधीश द्वारा अवेक्षा या अभिज्ञान है जो कि बिना सबूत के उनके बारे में करता है अर्थात यह न्यायालय द्वारा बिना सबूत किसी तथ्य की सत्यता को स्वीकृति प्रदान करना है।

धारा 56- न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है-:

जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।

धारा 57- वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी-:

धारा 57 में ऐसे तथ्यों की सूची दी गई है जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी है धारा 57 में 13 ऐसे तथ्यों की सूची है जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा।

धारा 56 और 57 को सही अर्थ में समझने के लिए दोनों धाराओं को साथ-साथ पढ़ना चाहिए धारा 56 निर्धारित करती है कि जब तथ्य इस प्रकार का हो कि न्यायालय को उसकी न्यायिक सूचना लेना आवश्यक हो तो उन्हें साबित करने के लिए कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं होती है धारा 57 ऐसे तथ्यों की एक सूची देती है जिनकी कि न्यायालय को न्यायिक सूचना प्राप्त करना चाहिए दोनों धाराओं को साथ-साथ पड़ने पर यह अभिप्राय निकलता है कि जब कोई विवाद धारा 57 में वर्णित तथ्यों के बारे में उत्पन्न हो तो वह पक्षकार जो उसके अस्तित्व को सिद्ध करना चाहता है उसे ऐसे तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है।

Estoppel (विबन्ध)

वी बंद को अंग्रेजी में estoppel कहते हैं जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द estop अंग्रेजी शब्द stop से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है रोकना ।

विबंध इस सूत्र पर आधारित है कि जो परस्पर विरोधी बातों का अभिकथन करता है उसकी सुनवाई नहीं होगी।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में विबन्ध को परिभाषित किया गया है-

इस धारा के अनुसार जब किसी व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप से साशय अन्य व्यक्ति को विश्वास कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी विवाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा।

दृष्टांत-:.....

यह धारा पिकार्ड बनाम सियर्स में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है अर्थात यह कि जहां कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से स्वेच्छया अन्य व्यक्ति को किसी वस्तुस्थिति के अस्तित्व में होने का विश्वास दिलाता है और उस विश्वास के अनुसार कार्य करने के लिए उसे उत्प्रेरित करता है जिससे कि उसकी अपनी पूर्व स्थिति बदल जाए तो पूर्वर्ती के बारे में पश्चातवरती के विरुद्ध वस्तुस्थिति जैसा कि उसी समय अस्तित्व में थी पर कथन करने से निष्कर्ष निकाला जाएगा।

विबन्ध का सिद्धांत साक्ष्य का नियम है न की साम्य का नियम।

विबन्ध के सिद्धांत के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है-

व्यपदेशन-:

किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में व्यपदेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरे के मन में किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में विश्वास पैदा कर सके, इसके लिए पर्याप्त होगा। जैसा की धारा 115 में कहा गया है कि व्यपदेशन कथन कार्य या लोप से हो सकता है अर्थात किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यपदेशन लिखित या मौखिक शब्दों से हो सकता है या कार्य या लोप वाले आचरण से।

श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1976 एस. सी. के बाद में निर्णय दिया गया कि जब किसी प्रत्याशी को परीक्षा में बैठने दिया जाए तो उसकी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता चाहे फार्म में कुछ कमियां हो प्रत्याशी कपट का दोषी नहीं होता यदि वह फार्म में कोई ऐसी बात भरता है जिसकी सत्यता की जांच विश्वविद्यालय आसानी से कर सकता था।

विश्वास तथा हानि-:

विबन्ध उत्पन्न होने की दूसरी शर्त यह है कि वादी ने व्यपदेशन के आधार पर अपनी स्थित परिवर्तित की है और अब उसे हानि होगी अगर व्यपदेशक को अपनी बात बदलने का अवसर दिया जाए इस शर्त के पूरा होने के लिए यह आवश्यक है कि वादी को व्यपदेशन ज्ञात हुआ और उसने उसके आधार पर कोई कार्य किया यह सुस्थापित नियम है कि पक्षकार द्वारा किए गए व्यपदेशन पर अन्य पक्षकार द्वारा कार्य वास्तविक रूप से किया गया हो और वचन के न पूरा होने पर वह कार्य हानिकारक साबित होगा।

Estoppel and res judicata
विबन्ध और प्राड्न्याय (पूर्वन्याय) -:

1- पूर्व न्याय किसी व्यक्ति को उत्तरोत्तर मुकदमों में एक ही बात दोबारा कहने से रोकता है जबकि विबन्ध उसको एक समय एक बात और दूसरी बार उसी बात के विरुद्ध बात करने से रोकता है।

2- विबंध साक्ष्य विधि का भाग है जबकि पूर्व न्याय प्रक्रिया विधि का भाग है और इस सिद्धांत पर आधारित है कि मुकदमों का अंत हो।

3- विबंध किसी व्यक्ति को एक समय पर एक बात और दूसरे समय पर उसके प्रतिकूल बात कहने से रोकता है जबकि पूर्व न्याय किसी व्यक्ति को एक ही बात पर पुनः वाद चलाने से रोकता है।

4- विबंध पक्षकार के कार्य तथा आचरण से उत्पन्न होता है जबकि पूर्व न्याय न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होता है।

Estoppel and waiver
विबंध और अधित्यजन-:

1- अधित्यजन किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा आचरण करना है जिससे प्रकट होता है कि उसने अपने अधिकार के बारे में जानते हुए भी उसको छोड़ दिया है। संविदा तमक और बाद कारण को गठित कर सकता है। जबकि विबंध के अंतर्गत प्रतिवादी को किसी वाद कारण को स्थापित करने वाले तथ्य के अस्तित्व को इनकार करने से रोक कर वादी को केवल वाद कारण को जारी करने में सहायता कर सकता है।

2- अधित्यजन सामान्यता दोनों पक्षकारों के समस्त तथ्यों के ज्ञान से उत्पन्न होता है जबकि विबन्ध का दावा करने वाले व्यक्ति को सही वस्तु स्थिति की जानकारी विबंध को नष्ट कर देगा।

3- अधित्यजन के मामले में चुप रहने के अतिरिक्त कुछ व्यक्त आचरण या कार्य भी आवश्यक है किंतु विबन्ध के विषयों में कभी-कभी चुप रहना भी विबन्ध हो सकता है।

विबन्ध अौर उपधारणा
Estoppel and presumption-:

विबन्ध स्वयं एक निर्योग्यता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पूर्व कथन के विपरीत कार्य करने से रोक दिया जाता है।
उपधारणा एक विधिक नियम है कि जो व्यक्ति एक निश्चित तथ्य को साबित कर देगा या स्वीकृत हो जाएगा तो उस तथ्य से यह एक निश्चित उपधारणा की जाएगी।

Kinds of estoppel (विबन्ध के प्रकार)-:

सामान्यता भी बंद तीन प्रकार के होते हैं-

1- अभिलेख द्वारा विबन्ध

2- विलेख द्वारा विबन्ध

3- आचरण द्वारा विबन्ध

1- Estoppel by record-:

ऐसे विबन्ध मुख्य रूप से सक्षम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होते हैं जबकि दो पक्षकारों का विवाद सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णता निश्चित हो जाता है तो वह विषय निश्चयायक और अंतिम हो जाता है और पक्ष कार तथा उनके उत्तराधिकारी इस विवाद को पुनः शुरू करने से विबन्धित कर दिए जाते हैं।

2- Estoppel by deed-:

जब कोई व्यक्ति विलेख द्वारा दूसरे व्यक्ति से सदभावनापूर्वक वचनबद्ध होता है तो न तो वह और न उसके जरिए दावा करने वाले व्यक्ति को इस विलेख के प्रतिकूल कुछ कहने दिया जाएगा।

3- Estoppel by conduct-:

आचरण द्वारा विबन्ध किसी पक्षकार के व्यपदेशन, कार्य या आचरण से उत्पन्न होता है इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात पर विश्वास दिलाता है या विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्ति उस विश्वास पर कार्य कर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तब उस प्रथम व्यक्ति को पूर्व में किए गए अपने कथनों से इनकार करने से रोक दिया जाता है।

Promissory estoppel वचनपत्रीय विबंध-:

जब एक पक्षकार ने अपने शब्दों या आचरण से किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा वचन या आश्वासन दिया हो जिसका असर उनके बीच के विधिक संबंधों को प्रभावित करना और उसी के अनुसार उनके द्वारा कार्य किया जाना हो तब जबकि उस अन्य पक्षकार ने उसके वचन पर विश्वास कर लिया और उसके अनुसार कार्य कर लिया उस व्यक्ति को जिसने वह वचन या आश्वासन दिया था को अपने पूर्ववर्ती विधिक संबंधों में वापस जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।

Equitable estoppel साम्यिक विबन्ध-:

साम्यिक विबन्ध में प्राधिकारी द्वारा व्यपदेशन किया जाना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को ऐसे व्यपदेशन पर भरोसा करके अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए इन तत्वों के अभाव में साम्यिक विबन्ध का सिद्धांत लागू नहीं होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 मकान मालिक और किराएदार के बीच के विबन्ध के उदाहरण पर संपूर्ण नहीं है वास्तव में कुछ ऐसे विबन्ध के मामले हैं जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 तक की शर्तों के अंतर्गत नहीं आते हैं फिर भी विबन्ध के उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं वे विबन्ध जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें साम्यिक विबंध कहा जाता है।

जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 और 43 साम्यिक विबन्ध का उदाहरण है।

Question of corroboration संपुष्टि के लिए प्रश्न-:

साक्ष्य अधिनियम की धारा 156 157 व 158 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है ।

धारा 156-:

जब कोई साक्षी जिस की संपुष्टि करना आशयित हो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है तब उससे ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर या के निकट संप्रेक्षित किया है जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां यदि वे साबित हो जाए साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में जिसका वह साक्ष्य देता है परिसाक्ष्य को संपुष्ट करेगी।

दृष्टांत-:

.....

धारा 157 के अनुसार साक्षी द्वारा किए गए पूर्वतन कथन उसी तथ्य की पश्चातवर्ती परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है।

धारा 158 के अनुसार -

जब कोई कथन जो धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है साबित कर दिया जाता है तो सभी तथ्यों को उसका खंडन या संपुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है।

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki